

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रमारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुखअभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अग्रियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों जिनकी कुल लम्बाई 9 किमी0 एवं 1 सेतु पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 76.02 लाख (रु छियत्तर लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्नक के बोलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 04 कार्यो हेतु ₹ 0.40 लाख (रु चालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महागहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/।।(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) — आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) — कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित ढर्रे/विशिष्ट्यों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(५) - आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उत्ती मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वैरमेंन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि नदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

photo by Attenuated

सहायक अभियन्ता

निर्माण एवं लोडिंग

3

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनागत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या:- 1102/XXVII/(2)/2015 दि०:- 04 जनवरी, 2017 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 66 / 11 / (2) / 17-23(प्र०आ०) / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप-सचिव

photo copy attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण रखण्ड लो०नि०वि०

अ. ग. (गढ़वाल)

8

14

-3-

शासनादेश संख्या:- 06 / 111(2) / 17-23(आ0आ0) / 2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 का संलग्नक

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चाबू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-469/16 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लेन्सडॉन में विकासखण्ड रिखणीखाल के वपेला मल्ला से बगरखाल तक मोटर मार्ग कार्य(प्रथम चरण)।	2.00	14.42	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-473/16 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लेन्सडॉन में विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत मन्दाल नदी पर दिकोलिया में आ०सी०सी० सेतु का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)।	275 mtr.	27.90	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबण्ड से घोड़ीघाट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5.00	16.85	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगाँव-बिजपुर-रावतगाँव-पनियाला मोटर मार्ग के किमी० 1 से पिपलोगी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	2.00	16.85	0.10
कुल		9.00 + 1 Bridge	76.02	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

photo copy Attached

RE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

3rd फेज (गढ़वाल)

04-12